

न्यायालय: श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-577 / 2013
 संस्थित दिनांक-28.06.2013
 फाईलिंग क.234503003012013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

लखीनारायण पिता शिववचन यादव, उम्र-66 वर्ष,
 निवासी-ग्राम दल्लीराजहरा, थाना दल्लीराजहरा,
 जिला-बालौद (छ.ग.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-14 / 09 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 429 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-05.05.2013 को शाम के करीब 5:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार (बैहाटोला) फगनसिंह मेरावी के घर के सामने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-07/ई-0661 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन से नुकसानी कारित करने के आशय से या सम्भाव्य जानते हुए कि नुकसान कारित होगा, फरियादी लक्ष्मणसिंह धुर्वे के बैल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु होने से फरियादी लक्ष्मणसिंह धुर्वे को रिष्टि कारित की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी लक्ष्मणसिंह धुर्वे ने दिनांक-06.05.2013 को पुलिस थाना मलाजखण्ड आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम खुर्सीपार में रहता है। दिनांक-05.05.2013 को उसका पुत्र हेमकुमार बैल चराने गया था और लगभग-5:30 बजे वह अपने बैल को लेकर वापस घर आ रहा था तभी दुर्ग रोडवेज की बस जो बिरसा से मलाजखण्ड की ओर जा रही थी के चालक ने तेज गति और लापरवाही से बस को चलाकर उसके बैल को टक्कर मार दी, जिससे उसका बैल टक्कर लगने से घायल हो गया। उसने बस के चालक को नहीं देखा था, परंतु बस दुर्ग रोडवेज की थी। उसके बैल की मृत्यु घटना दिनांक के अगले दिन हो गई थी। फरियादी की उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-55/13, धारा-279 भारतीय दण्ड संहिता एवं

मोटरयान अधिनियम की धारा-184 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-429 का ईजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 429 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-05.05.2013 को शाम के करीब 5:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार (बैहाटोला) फगनसिंह मेरावी के घर के सामने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-07/ई-0661 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से नुकसानी कारित करने के आशय से या सम्भाव्य जानते हुए कि नुकसान कारित होगा, फरियादी लक्ष्मणसिंह धुर्वे के बैल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु होने से फरियादी लक्ष्मणसिंह धुर्वे को रिष्टि कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। उसका पुत्र हेमकुमार बैल चराकर वापस घर आ रहा था, तभी दुर्ग बस के चालक ने बस को तेज गति से चलाकर बैल को टक्कर मार दी थी, जिसके दूसरे दिन बैल की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के विषय में उसके पुत्र ने उसे घर आकर बताया था। उसने घटना के संबंध में थाना मलाजखण्ड में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि

उसके सामने दुर्ग रोडवेज के बस चालक ने बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके बैल को टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके सामने वाहन का पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह आरोपी बस चालक को नहीं पहचानता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह घर पर था, इसलिए नहीं बता सकता कि घटना घटना किसकी गलती से हुई थी।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अनूज कुमार (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। वह हेमकुमार को जानता है। दुर्घटना दिनांक को हेमकुमार अपने बैलों को लेकर घर जा रहा था। हेमकुमार के बैल रोड पार कर रहे थे, तब बस चालक ने बैलों को टक्कर मारी थी। घटना के दूसरे दिन बैल की मृत्यु हो गई थी। उसने बस चालक को नहीं देखा था, क्योंकि चालक मौके से भाग गया था। पुलिस ने उसके समक्ष बस को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि दुर्घटना के समय वह घटनास्थल से 5-6 मीटर की दूरी पर था। बस लगभग 40 कि.मी. प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन में बस चालक द्वारा बस को लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय बस अपनी साईड से चल रही थी।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी हेमकुमार धुर्वे (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना उसके बयान देने के 2 वर्ष पूर्व की शाम 6:00 बजे की है। वह अपने एक जोड़ी बैल को लेकर वापस घर जा रहा था, तभी दुर्ग रोडवेज की बस तेज गति से आई और उसके बैल को टक्कर मार दी थी और टक्कर लगने से उसके बैल की मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। बस चालक दुर्घटना के बाद बस लेकर भाग गया था, इसलिए उसने चालक तथा बस के नंबर को नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना के समय उसने आरोपी लखीनारायण को दुर्घटना कारित करने वाली बस चलाते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बैल पकड़ा नहीं था, इस वजह से दुर्घटना हुई थी।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी डॉ. अरूण नेमा (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-06.05.2013 को पशु चिकित्सालय बिरसा में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उसे दिनांक-06.05.13 को थाना मलाजखण्ड से मृत बैल का शव परीक्षण करने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उसने ग्राम खुर्सीपार जाकर मृत बैल का शव परीक्षण किया था, जिसमें उसने पाया था कि बैल की आयु लगभग 9 वर्ष की थी। बैल के गले में खरोंच के निशान थे और पीछे भाग पर टक्कर के निशान थे। बैल के नाक व मुंह से रक्तस्राव हो रहा था एवं दाहिने साईड की आठवें नंबर की पसली में अस्थिभंग होना पाया था तथा पेट एवं कमर के पास मांसपेशियों में रक्तस्राव होना पाया था। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि बैल की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव होने से हुई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बैल की मृत्यु उसके परीक्षण करने के 24 घंटे की भीतर होना संभावित थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण बैल की मृत्यु हुई थी।

9— मुकेश रंगारी (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-06.05.2013 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक ज्ञानेश्वर इडपाचे द्वारा लक्ष्मणसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर दुर्ग रोडवेज बस के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-55/13, अंतर्गत धारा-279 भा.द.वि. के तहत लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर प्रधान आरक्षक ज्ञानेश्वर इडपाचे के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उसने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5, जो हेमकुमार की निशानदेही पर तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने साक्षी लक्ष्मण, अनुज एवं हेमकुमार के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे तथा बैल के मृत होने का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लगभग 8,000/-रुपये की नुकसानी हुई थी। दिनांक-06.05.13 को पशु चिकित्सा अधिकारी बिरसा को मृत बैल का पी.एम. कराने बाबत प्रतिवेदन पेश किया गया था, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त प्रतिवेदन में घटना का दिनांक-05.05.13 का उल्लेख है। दिनांक-07.05.2013 को फरियादी से बैल को टक्कर मारने वाली बस की पहचान करवाई थी। पहचान पर बस क्रमांक-सी.जी-07-ई-0661 दुर्ग रोडवेज की

बस होना पाया गया था, जिसका पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-3 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी लखीनारायण से बस क्रमांक-सी.जी-07-ई-0661 को मय दस्तावेज के साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दुर्गा रोडवेज से घटना दिनांक को बस क्रमांक-सी.जी-ई-0661 का चालक कौन था कि जानकारी लिखित में प्रमाणपत्र के रूप में जाकारी प्राप्त किया था, जिसमें उक्त बस का चालक लक्की नारायण यादव की जानकारी दी गई थी। उक्त प्रमाणपत्र चालान के साथ संलग्न है। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किये थे एवं विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैठकर की थी।

10— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी नंदकुमार सेन (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। दिनांक-05.05.13 को सी.जी-07-ई-0661 को आरोपी लखीनारायण यादव चला रहा था। इस संबंध में प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने का अभियोग है। सर्वप्रथम आरोपी की पहचान के विषय में यदि बात की जावे तो अभियोजन साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1), अनूज कुमार (अ.सा.2), हेमकुमार (अ.सा.3) का कहना है कि वह आरोपी को नहीं पहचानते। साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह घर पर था, जबकि मौके पर उपस्थित साक्षी अनूज कुमार (अ.सा.2), हेमकुमार (अ.सा.3) ने कहा है कि उन्होंने बस का क्रमांक तथा बस चलाने वाले चालक को नहीं देखा था। उनका कहना है कि दुर्घटना के बाद चालक बस को लेकर मौके से भाग गया था। इस प्रकार दुर्घटना वाहन क्रमांक-सी.जी-07-ई-0661 से हुई थी, यह बात अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है कि आरोपी द्वारा दुर्घटना दिनांक को उपरोक्त वाहन उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाया जा रहा था, जिससे दुर्घटना कारित हुई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किया

जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष :-

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दुर्घटना में मृत बैल की कीमत सात हजार रुपये थी। पुलिस ने इस संबंध में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस के द्वारा वाहन की पहचान की थी, जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि दुर्घटना वह मौके पर उपस्थित नहीं था। जब साक्षी मौके पर उपस्थित नहीं थे, तब वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान किस प्रकार कर सकता था, यह अविश्वसनीय है। इस प्रकार साक्षी के कथन विरोधाभासी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अनूज कुमार (अ.सा. 2) ने कहा है कि पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष पुलिस ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर थाने पर किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसने हस्ताक्षर किये थे, तब वह कोरा कागज था। साक्षी हेमकुमार (अ.सा. 3) के कथनों पर विचार किया जावे तो उसने कहा है कि नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 के सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने यह भी कहा है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे, परंतु आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-2 नुकसानी पंचनामा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार मौके पर उपस्थित अभियोजन साक्षी जिनके समक्ष विवेचना की कार्यवाही हुई थी, उन्होंने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में विवेचक साक्षी मुकेश रंगारी (अ. सा.5) ने अपने द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है, परंतु शेष अभियोजन साक्षियों ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवेचना की कार्यवाही में तैयार किये गए दस्तावेज पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे अथवा कोरे

कागज पर हस्ताक्षर किये थे, इसलिए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। दुर्घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन क्रमांक-सी.जी-07-ई-0661 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर प्रार्थी के बैल को टक्कर मारी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी, यह बात प्रमाणित नहीं हो रही है। उपरोक्त स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-429 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-429 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

13— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

14— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक-सी.जी-07-ई-0661 को सुपुर्ददार विशाल बेदी पिता स्व. केवल बेदी, उम्र-40 वर्ष, साकिन, निवासी वार्ड नंबर-4 नरसिंहटोला, थाना बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया।
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट